



(1)

IN THE HONB'LE REVENUE BOARD AT GWALIOR
PBR | अप्रैल | द्वारा | ३१०३ | २०१७ | २७९३

Appeal No. /2017

Appellant : Gwalior Alcobrew Pvt. Ltd (*formerly Gwalior Distillers Limited.*), Rairu Farm, Agra Mumbai Road Gwalior 474010, through its General Manager Mr. P.V. Muralidharan S/o Late Shri V.V.S. Nambishan R/o Rairu Farm, Gwalior (M.P.)

*श्री प.व.सी.एस. नंबिशन
द्वारा आज दि ३१-७-१७ को
प्रस्तुत
कालक ऑफ कोर्ट ३१-७-१७
राजस्व समिक्षा मण्डल ग्वालियर*

Ashish Raut, Adarsh Raut

VERSUS

Respondent : Excise Commissioner, Motimahal, Gwalior

APPEAL U/S 62 (2) (C) OF MADHYA PRADESH EXCISE ACT,

1915 AGAINST ORDER DATED 20.06.2017 (ANNEXURE - A)

PASSED BY LEARNED EXCISE COMMISSIONER WHEREBY
THE PRESENT APPELLANT HAS BEEN DIRECTED TO PAY
PENALTY OF RS. 25,250/- FOR NON KEEPING MINIMUM
STOCK.

*Copy forwarded
13-9-17*

Most humbly and respectfully the appellant submit as

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/गवालियर/आ.अ./2017/2793

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-2018	<p>अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. गवालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3172 में पारित आदेश दिनांक 20-6-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र दिनांक 30-3-2015 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2015-16 के लिए प्रदाय क्षेत्र जिला शाजापुर हेतु अनुजप्ति स्वीकृत की गई। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा जिला शाजापुर के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मंदिरा का संग्रह अवधि माह अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक कुल 41 दिवसों में नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में बोतलबंद देशी मंदिरा के प्रदाय के 5 दिवस के औसत प्रदाय के समतुल्य रखना अनिवार्य है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3172 में दिनांक 20-6-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही स्टोरेज मद्यभाण्डागार शाजापुर एवं शुजालपुर में अवधि माह अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 तक 41 दिवसों में बोतलबंद देशी मंदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 10,250/- इस प्रकार</p>	

कुल रूपये 25,250/- की शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं मानने में भूल की गई है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा मंदिरा का पर्याप्त संग्रह हमेशा बनाये रखा गया है, जिससे मंदिरा प्रदाय के चालन कभी लंबित नहीं रहे हैं और न ही शासन को राजस्व की कोई हानि हुई है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व लायसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कि राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्यायों के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्ट: उल्लंघन है। अतः अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अवधि माह अप्रैल, 2015 से जुलाई 2015 तक 41 दिवसों में उसे प्रदाय क्षेत्र

शाजापुर एवं शुजालपुर के मद्यभाण्डागारों में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संकंध नहीं नहीं रखा गया है, जो कि म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का स्पष्टतः उल्लंघन होकर नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय है। उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20-6-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

अध्यक्ष

ASR